

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला केकड़ी

(पीठासीन अधिकारी गुरु प्रसाद तंवर) आर.ए.एस

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./94/2024

1. रामनाथ पुत्र रायमल जाति जाट निवासी करांटी तहसील भिनाय जिला केकड़ी

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला केकड़ी

अप्रार्थीगण

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक:-05.07.2024



1. वकील प्रार्थी- श्री धर्मवीर बामनियां

2. पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा करांटी पटवार क्षेत्र करांटी भू0अ0नि0 क्षेत्र छछुन्दरा के खाता सं0 430 में दर्ज खसरा नं. 1659 रकबा 0.28, खसरा नं. 1739 रकबा 0.32, खसरा नं. 1740 रकबा 0.41, खसरा नं. 1744 रकबा 0.42, खसरा नम्बर 1745 रकबा 0.34, खसरा नम्बर 2162 रकबा 0.48, खसरा नम्बर 2167 रकबा 0.35, खसरा नम्बर 2321 रकबा 0.24, खसरा नम्बर 2322 रकबा 2323 रकबा 0.50, खसरा नम्बर 2324 रकबा 0.16, खसरा नम्बर 2331 रकबा 0.19 और खसरा नं. 2332 रकबा 0.26 कुल किता 14 कुल रकबा 5.01 हैक्ट जो कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थी सं. 01 सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।स

प्रकरण दर्ज कर पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब पेश कर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया हैं। पैरोकार सरकार से जवाब लिया जाकर पत्रावली वास्ते बहस नियम की गई। वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों अनुसार कथन करते हुए प्रार्थना-पत्र धारा 128 रा0भू0अधि0 स्वीकार करने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया हैं। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना-पत्र में संलग्न राजस्व जमाबन्दी ग्राम करांटी के खाता संख्या 430 संवत् 2072-2075(वर्ष 2019 में स्थाई) के आधार पर प्रश्नगत आराजी प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन तथा बहस पत्रावली के मनन उपरान्त प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर मौजा करांटी पटवार क्षेत्र करांटी भू0अ0नि0 क्षेत्र छछुन्दरा के खाता सं0 430 में दर्ज खसरा नं. 1659 रकबा 0.28, खसरा नं. 1739 रकबा 0.32, खसरा नं. 1740 रकबा 0.41, खसरा नं. 1744 रकबा 0.42, खसरा नम्बर 1745 रकबा 0.34, खसरा नम्बर 2162 रकबा 0.48, खसरा नम्बर 2167 रकबा 0.35, खसरा नम्बर 2321 रकबा 0.24, खसरा नम्बर 2322 रकबा 2323 रकबा 0.50, खसरा नम्बर 2324 रकबा 0.16, खसरा नम्बर 2331 रकबा 0.19 और खसरा नं. 2332 रकबा 0.26 कुल किता 14 कुल रकबा 5.01 हैक्ट हेतु नायब तहसीलदार बान्दनवाड़ा को 500/- रु(पांच सौ रु) की मौका कमीशनर फीस पर मौका कमीशनर

4  
उपखण्ड अधिकारी  
भिनाय (केकड़ी)

नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि सभी पड़ोसी खातेदारों को पूर्व सूचना देने के उपरान्त प्रार्थी उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगद्दी की कार्यवाही कर, पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।



9  
(गुरू प्रसाद तंवर)  
उपखण्ड अधिकारी  
मिनाय, कंकड़ी  
उपखण्ड अधिकारी  
मिनाय (कंकड़ी)